UPPG010039932026

Bail Application/1568/2026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, प्रतापगढ़।
पीठासीन अधिकारी–(राजीव कमल पाण्डेय), (एच. जे .एस.)
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1398/2026

नवीन कुमार सिंह उर्फ पिन्टू सिंह आयु लगभग 48 वर्ष सुत इन्द्रमण सिंह उर्फ इन्द्रमणि सिंह निवासी ग्राम गोगौरी, थाना बाघराय, जिला प्रतापगढ़।

... ... प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राज्य उ०प्र०। ... ...विपक्षी

मुकदमा अपराध संख्या–129/2026
धारा– 308(7) भारतीय न्याय संहिता
थाना–बाघराय, **जनपद–** प्रतापगढ़।

1.) प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त **नवीन कुमार सिंह उर्फ पिन्टू सिंह** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–129/2026, धारा–308(7) भारतीय न्याय संहिता, थाना–बाघराय, जनपद प्रतापगढ़ के केस में जमानत पर छोड़े जाने की याचना के साथ, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा **483** के प्रावधान के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है।

2.) जमानत प्रार्थना पत्र में किये गये कथनों के अनुसार प्रार्थी /अभियुक्त निर्दोष है, उसे असत्य कथनों के आधार पर साजिशन राजनैतिक रंजिश व दुश्मनी वश झूठा फंसाया गया है। मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट कथित घटना की तिथि से 73 दिन विलम्ब से पंजीकृत करायी गयी है, जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। वादिनी मुकदमा के पास प्रार्थी /अभियुक्त द्वारा किस व्यक्ति से पांच लाख रूपया की मांग की गयी और न देने पर वादिनी मुकदमा के पति पर हत्या जैसे जघन्य अपराध का झूठा मुकदमा दर्ज करा देने का सन्देश भिजवाया, प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित नहीं है। अभियोजन कहानी काल्पनिक है। प्रथम सूचना रिपोर्ट मं वादिनी मुकदमा ने श्रीमती बेरहिन से पचास हजार रूपये भिजवाने का कथन किया है किन्तु किस तिथि पर और कहां रूपया भिजवाया यह बात प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित नहीं है। प्रार्थी /अभियुक्त का कोई सम्बन्ध सुरेन्द्र गौतम व उसके परिवारजन से नहीं है बल्कि वादिनी मुकदमा का राजनैतिक सम्बन्ध सुरेन्द्र गौतम व उसके परिवारजन से रहा है। वादिनी मुकदमा के विरूद्ध प्रार्थी /अभियुक्त के पिता श्री इन्द्ररमण सिंह पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी रहे इसी वजह से वादिनी मुकदमा गंभीर रंजिश प्रार्थी/अभियुक्त व उसके परिवार से रखती है। उक्त ग्राम पंचायत के चुनाव में प्रार्थी/अभियुक्त के पिता मामूली मतों से वादिनी मुकदमा से पराजित हुए थे। प्रार्थी /अभियुक्त पर वादिनी मुकदमा के पति व अन्य दिनांक 07.09.2021 को जानलेवा हमला किये थे, जिस घटना को लेकर वादिनी मुकदमा के पति पर प्रार्थी /अभियुक्त ने मुकदमा अपराध संख्या 247/2021, धारा 147,504,506,307 भारतीय दण्ड संहिता का पंजीकृत कराया था, जिस वजह से प्रार्थी/अभियुक्त से वादिनी मुकदमा गंभीर रंजिश व दुश्मनी रखती है। प्रार्थी/अभियुक्त को यह प्रथम जमानत आवेदन है। प्रार्थी/अभियुक्त किसी अन्य मुकदमे का सजायाफ्ती है। उसके

Digitally signed by Rajiv Kamal Pandey
Date: 2026.06.10 12:55:13 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

पलायन की कोई संभावना नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त स्वयं के विरूद्ध दर्ज 11 आपराधिक मुकदमों के वर्तमान स्थिति का उल्लेख अपने जमानत आवेदन में किया गया है। अतः जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गई है।

3.) विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं वादी मुकदमा के निजी विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का कड़ा विरोध किया गया।

अभियोजन की ओर से प्रार्थी/अभियुक्त का निम्नलिखित आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है।

क्रम सं0	मु0 अ 0 सं0	धारा	थाना	वर्तमान स्थिति
i.	247/2022	323, 504 भा०द०वि०	बाघराय	विचाराधीन न्यायालय
ii.	130/2019	323, 504, 506 भा०द०वि०	बाघराय	विचाराधीन न्यायालय
iii.	253/2019	504, 506 भा०द 0 वि०व 66 डी. आइ०टी० एक्ट	बाघराय	अन्तिम रिपोर्ट न्याया० प्रेषित है।
iv.	108/2018	354 क, 504, 506 भा०द०वि०	बाघराय	अन्तिम रिपोर्ट न्याया० प्रेषित होने के पश्चात स्वीकृत
v.	175/2019	323, 504, 506 भा०द०वि०	बाघराय	अन्तिम रिपोर्ट न्याया० प्रेषित
vi.	156/2012	147, 323, 504, 506 भा०द०वि०	बाघराय	निर्णय/दोषमुक्त
vii.	137/2012	110 जी0 जा०फौ०	बाघराय	निर्णय/दोषमुक्त
viii.	141/2007	342, 506 भा०द०वि०	बाघराय	निर्णय/दोषमुक्त
ix.	129/2007	420, 467, 468, 471 भा०द०वि०	बाघराय	निर्णय/दोषमुक्त
x.	43/2006	419, 420, 467, 408, 471 भा०द०वि०	बाघराय	निर्णय/दोषमुक्त
xi.	198/2005	420 भा०द०वि०	बाघराय	निर्णय/दोषमुक्त

4.) न्यायालय द्वारा उभय पक्षों के तर्कों को सुना गया एवं अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों का परिशीलन किया गया।

5.) प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना के ढाई माह विलंब से थाने पर दर्ज करायी गयी थी, जिसमें वादिनी मुकदमा द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त पर यह आरोप लगाया गया था कि वादिनी मुकदमा के पति को हत्या के जघन्य अपराध के झूठे मुकदमे में फंसा देने की धमकी देकर उससे पांच लाख रूपये मांगे गये थे तथा पचास हजार रूपये प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा लिये भी गये। वादिनी मुकदमा के पति को बाद में सुरेन्द्र गौतम की हत्या के मुकदमे में नामजद भी करा दिया गया। दौरान विवेचना साक्षी बेरहिन जिसके माध्यम से प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा उक्त उद्दापन के सम्बन्ध में मांग किया जाना एवं पचास हजार रूपये प्राप्त किया जाना बताया जाता है, के साक्ष्य में भी प्रार्थी/अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता बतायी गयी है। स्वतन्त्र गवाह सुशीला देवी एवं फूलकली देवी के साक्ष्यों से भी अभियोजन कथानक को बल मिल रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अपने जमानत प्रार्थनापत्र में वादिनी मुकदमा के पति की प्रार्थी/अभियुक्त से पुरानी रंजिश होना बताया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का 11 मुकदमों का आपराधिक इतिहास बताया गया है, तथापि 09 मुकदमों में या तो अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की जा चुकी है या प्रार्थी/अभियुक्त दोषमुक्त हो चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध वर्तमान में 02 मुकदमे विचाराधीन होना बताये गये हैं, जो कि धारा 323, 504, 506 भारतीय दण्ड विधान के सम्बन्ध में हैं। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 24.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है, तथापि प्रार्थी/अभियुक्त पर लगाये गये अभियोग की प्रकृति व

गंभीरता तथा उपलब्ध साक्ष्यों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है तथा जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त **नवीन कुमार सिंह उर्फ पिन्टू सिंह** की तरफ से मुकदमा अपराध संख्या–129/2026, धारा–308(7) भारतीय न्याय संहिता, थाना बाघराय ,जनपद प्रतापगढ़ में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना संख्या–1398/2026 निरस्त किया जाता है।

दिनांकः 10.06.2026

(राजीव कमल पाण्डेय)
सत्र न्यायाधीश
प्रतापगढ़।
I.D No. UP 2020